



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241687
CG-DL-E-05012023-241687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]
No. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 35(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH4 के किमी 86.65 किमी से 107.091 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH4 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर & कम्पीटेंट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH4 के	तमिलनाडु	वेल्लोर	वालजपत	1 अममानथंगल

	अथॉरिटी , वेल्लोर (	कि.मी. 86.65 से 107.091 तक			
--	---------------------------	-------------------------------------	--	--	--

[फा. सं. 11036/25/2019/PIU.KANCHEE]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 35(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 86.65 to Km. 107.091 of the NH4 for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TAMIL NADU

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH4 in the State of TAMIL NADU.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special District Revenue Officer & Competent Authority , Vellore (	86.65KM To 107.091KM	TAMIL NADU	VELLORE	Walajapet	1 Ammananthangal

[F. No. 11036/25/2019/PIU.KANCHEE]

RAJESH GUPTA, Director